उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष सं0 :–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल:–ndc-deoghar@jharkhandmail.gov.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

आसन्न श्रावणी मेला, 2019 के दौरान देवघर के सम्पूर्ण मेला क्षेत्र, काँवरिया पथ एवं विभिन्न पुलिस आवासन स्थलों एवं विभिन्न प्रशासनिक शिविरों में ठोस कचरा प्रबंधन एवं सफाई कार्य किये जाने की आवश्यकता है। उक्त कार्य हेतु सभी अर्हताधारी, अनुभवी संवेदको/एजेन्सी/संस्थानों/प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा उपायुक्त, देवघर के पक्ष में आमंत्रित की जाती है।

निविदा की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत् है :–

क्र०	कार्यक्रम	दिनांक	समय
1	निविदा प्रकाशन की तिथि	12.05.2019	–
2	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	25.05.2019	2 PM
3	निविदा निष्तारण की तिथि	25.05.2019	3 PM

उपायुक्त, देवघर के पास किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

निविदा के संबंध में विस्तृत विवरण उपायुक्त का कार्यालय जिला नजारत शाखा, देवघर के सूचना पट्ट पर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में या जिला के बेवसाईट http:// deoghar.nic.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्त्ते :–

1. संबंधित कार्य हेतु निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 2,00,000.00(दो लाख) रू० का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफ०डी०आर० उपायुक्त, देवघर के पदनाम से देवघर में भुगतान हेतु संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को 03 वर्ष का आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को जी०एस०टी० एवं अन्य कर को सम्मिलित करते हुए दर को उल्लिखित करना होगा।
4. निविदा के माघ्यम से दर निर्धारण के क्रम में न्यूनतम उद्धृत दरों के संबंध में आपसी वार्त्ता के आधार पर दर में संशोधन करने एवं अनुमोदित दर पर एक से अधिक संवेदकों के बीच कार्य बटवारा करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को Labour License निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही पूर्व में किसी सरकारी विभाग में किए गए कार्य प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को निम्नलिखित स्थलों में प्रतिदिन कार्य करना होगा –
   - दुम्मा से खिजुरिया काँवरिय पथ की सफाई।
   - खिजुरिया से बाबा मंदिर तक सफाई।
   - बाघमारा बस स्टैण्ड की प्रतिदिन सफाई।
   - सभी पुलिस अस्थाई आवासन की प्रतिदिन सफाई।
   - बी०एन०झा० पथ से जलसार तक सफाई।

Anand 9.5.19

- जलसार से तिवारी चौक तक सफाई।
- तिवारी चौक से आर०के० मिशन होते हुए बी०एड०कॉलेज तक सफाई।
- नेहरू पार्क की सम्पूर्ण सफाई प्रतिदिन।
- शिवगंगा एवं मानसिंघी के चारो तरफ प्रतिदिन सफाई।
- बाबा मंदिर प्रांगण के बाहर चारों तरफ सफाई।
- बी०एड०कॉलेज से बरमसिया, नन्दन पहाड़, नन्दन पहाड़ के चारों तरफ, कालीबाड़ी मोड़, सिंघवा ग्राम, कुमैठा स्टेडियम तक प्रतिदिन सफाई।
- टावर चौक से भी०आई०पी० रोड़ होते हुए बाबा मंदिर तक।
- सभी अस्थाई थाना की प्रतिदिन सफाई।
- मीना बाजार बस स्टैण्ड।
- बरमसिया चौक से डी०डी०सी० आवास होते हुए कालीबाड़ी मोड़ तक।
- भुरभुरा मैदान के पास।
- शिवगंगा एवं मानसिंघी तालाब को श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सफाई करना होगा।
- टावर चौक से मंदिर मोड़ तक।

8. निविदादाता को सफाई से संबंधित सभी प्रकार के सामग्री जैसे ट्रॉली, रसायन, फिनाईल, ब्लीचींग, चूना, कुदाल आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

10. निविदादाता को सभी प्रकार की सुरक्षा सामग्री की आपूर्ति अपने स्तर से करनी होगी।

11. निविदादाता को सभी कर्मी को ड्रेस एवं परिचय पत्र देना होगा।

12. निविदादाता को चार जगह नहेरू पार्क, कलकतिया घर्मशाला, बाघमारा बस स्टैण्ड एवं बी०एड०कॉलेज में कन्ट्रोल रूम बनाना होगा। सभी कन्ट्रोल रूम में स्टाफ का मोबाईल नम्बर उद्वृत करना होगा।

13. निविदादाता को सफाई गाड़ी स्वयं रखना होगा। सभी गाड़ियों में GPS System लगा रहेगा।

14. निविदादाता को अपने सफाई कर्मी का प्रत्येक दिन Biometric Attendance बनवाना अनिवार्य रहेगा।

15. संबंधित कार्य **दिनांक 05.07.2019 से लेकर 04.09.2019 तक** लगातार रहेगा। अगर प्रशासन को आवश्यकता होगा तो अगले 15 दिनों तक कार्य बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

16. किए गए कार्य का भुगतान अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया जाएगा।

17. निविदादाता को 15-15 दिनों के अन्तर पर विपत्र उपस्थापित करना होगा। तदपरान्त विपत्रों की जाँच समिति के माध्यम से कराकर भुगतान किया जाएगा।

18. निविदादाता द्वारा कार्य पर रखनेवाले कर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए।

19. इच्छुक निविदादाता को निविदा समर्पित करते समय दो अलग-अलग बंद लिफाफा में निविदा डालना होगा जिसमें एक में तकनीकी कागजात तथा दूसरे में वित्तीय कागजात रहेगा। तकनीकी कागजात पूर्ण रहने पर ही वित्तीय निविदा को खोला जाएगा।

20. निविदा समिति द्वारा निर्धारित दर के अलावे किसी अन्य प्रकार का भुगतान मान्य नहीं होगा।

21. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

22. हस्तलिखित एवं सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

9/5/19
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता
देवघर
9/5/15